संख्या–78 VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2005

विषयः–राज्य अभिलेखागार, उत्तरांचल, देहरादून के भवन निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1416/सं0नि0उ0/दो–3/2004–05/दिनांक 15 फरवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजन हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 50.00 लाख (रूपये पच्चास लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यन से आपके निवर्तन पर रखें जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9(1)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(2)–किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(3)–व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

(4)–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–106–संग्रहालय–03–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य नामक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

An

(5)– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1629/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक 22–02–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7– परियोजना प्रबन्धक यूनिट–1, पेयजल निर्माण, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

बी०एम०–15

पुनर्विनियोग 2004–05 विवरण पत्र

नियन्त्रक अधिकारी–निदेशक, संस्कृति निदेशालय

प्रशासनिक विभाग–संस्कृति विभाग, उत्तरांचल शासन

संख्या–

देहरादून, दिनांक

आयोजनागत (धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04–कला एवं संस्कृति 800–अन्य व्यय 03–सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/ऑडिटोरियम आदि 20–सहायक अनइदुान/अंशदान/राज सहायता 10000	–	5000	5000	4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04–कला एवं संस्कृति 106–संग्रहालय 03–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण 24–वृहद निर्माण कार्य 5000	10500	5000	राज्य अभिलेखागार, उत्तरांचल, देहरादून के भवन निर्माण हेतु नई मांग के माध्यम से रू0 50.00 लाख धनराशि स्वीकृत की गई थी, किन्तु वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के सापेक्ष राजकीय संग्रहालय, पिथौरागढ़ को भवन के विद्युतीकरण कार्य हेतु रू0 50.00 लाख धनराशि अवशेष बची है, जिससे अभिलेखागार के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।
योग – 10000	–	5000	5000	5000	10500	5000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

NIC-1280

संख्या: 1627 /वित्त अनुभाग-2/2005

वित्त अनुभाग -2
देहरादून 29 दिनांक
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एल०एम० पन्त) 27/7/2005
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल देहरादून

संख्या- तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तरांचल देहरादून
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून
4. वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन
5. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

2802-5014.PU